तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
9/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रभूलाल, श्यामलाल, रामनारायण के शपथ पत्र पेश किये गये थे जो शा० फा० किये गये। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे में होने से पत्रावली पूर्वानुसार दि. 5/10/21 को पेश हो।	
25/11/21	पत्रावली आज कैम्प सालरी में पेश हुई TDR रायपुर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल. की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को ग्राम सालरी की आराजी ख.नं. 481 पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 482 अथवा 483 में से दिया जा सकता है। ख.नं. 482 के दक्षिणी पूर्वी मेड़ पर लाईट का खम्भा स्थित है जिससे नवीन रास्ता कायमी में परेशानी होगी अतः ख.नं. 483 में उत्तरी मेड़ पर 172 फीट लम्बाई एवं 12 फीट चौड़ाई में नवीन रास्ता कायम हो सकता है। उक्त नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगण को हुई हानि की पूर्ति हेतु प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 481 की दक्षिण मेड़ में से भूमि दी जाकर क्षतिपूर्ति की जा सकती है। नवीन रास्ते में 2064 वर्ग फीट अर्थात 0.0189 हेक्टर भूमि का उपयोग होगा।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि प्रार्थीगण को अपने ख.नं. 481 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के ख.नं. 483 की उत्तरी मेड पर 172 फीट लम्बाई व 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाकर क्षतिपूर्ति हेतु ख.नं. 481 की उत्तरी मेड की भूमि अप्रार्थीगण को दिया जाना उचित है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार रामपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सालरी की आराजी ख.नं. 483 में उत्तरी मेड पर 172 फीट लम्बा व 12 फीट चौड़ा यानि 2064 वर्ग फीट भूमि में नवीन रास्ता कायम करे एवं अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति हेतु ख.नं. 481 की दक्षिण मेड की भूमि में से 2064 वर्ग फीट भूमि दी जावे। TDR रामपुर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो। (सन्तोष कुमार मीना) उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ प्रशासन गांव के संग 2021

(उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ — seal)

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner